भारतीय शिक्षा आयोग (1882)

हण्टर कमीशन :- सन् 1854 में घोषित वुड के घोषणापत्र को भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा इसके उपरान्त यह व्यवस्था समुचित रूप से लगभग 25 वर्ष तक चलती रही इसी बीच भारतीय इतिहास में एक महान घटना घटित हुयी जिसे 1857 की क्रान्ति के नाम से जाना जाता है 1854 के घोषणापत्र में घोषित शिक्षा नीति के विरुद्ध भारतीय तथा इंग्लैण्ड में ईसाई मिशनरीयों परिवर्तन की माँग कर रही थी इन ईसाई मिशनरीयों ने इंग्लैण्ड में General Council of education in India संस्था का गठन किया 1880 में नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल लार्ड रिपन पर शिक्षा नीति में परिवर्तन हेतु दबाव डालने लगे इस पर रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया वास्तव में वुड द्वारा घोषित शिक्षा नीति अत्याधिक पुरानी हो चुकी थी तथा अपेक्षित सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकी थी।

अंततः लार्ड रिपन ने 3 Jan 1882 को "भारतीय शिक्षा आयोग" का गठन किया जिसके अध्यक्ष Sir William Hunter थे तथा 20 अन्य आयोग के सदस्य थे इनमें 7 सदस्य भारतीय थे

इस आयोग को हण्टर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है इसके सचिव B. L. राइस थे आयोग ने सम्पूर्ण देश के शैक्षिक कार्यकलापों व परिस्थितियों की जाँच व गहन अध्ययन कर March 1883 में 600 पन्नों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों एवं पक्षों पर जाँच की गई थी लॉर्ड रिपन ने नवीन शिक्षा नीति की घोषणा से पूर्व वुड के घोषणापत्र के पूर्णतः समीक्षा करने के आदेश दिए प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार व विकास हेतु क्या उपाय किए जाए तथा सभी शैक्षिक पहलुओं पर सरकार की नीति को स्पष्ट करने के आदेश दिए।

भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य →

1) सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।

2) प्राथमिक शिक्षा की अधिकाधिक उन्नति व प्रचार एवं विकास हेतु साधनों की खोज व उनकी उपलब्धता करना।

~~उद्देश्य~~ आयोग के कार्य / जाँच के विषय →

1. क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान दे कर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की है?
2. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? और उसके सुधार एवं विकास के लिए क्या उपाय अपनाये जाने चाहिए?
3. माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? इसका प्रसार किन साधनों द्वारा किया जाना चाहिए।
4. देश की शिक्षा प्रणाली में राजकीय विद्यालयों में क्या स्थिति है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में इनकी
5. देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूलों का क्या स्थान होना चाहिए?
6. शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए?
7. आयोग ने दो विशेष आदेश दिये
   i) इस बात की जाँच करना की 1854 के आदेश पत्रों के सिद्धान्तों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है।
   ii) ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनको आयोग आदेश पत्र में निर्धारित की गयी नीति को क्रियान्वित करने के लिए उचित समझता है।

आयोग ने सम्पूर्ण देश का भ्रमण करके शिक्षाविदो से भेंट करके और शिक्षा सम्बन्धित राजकीय लेखो का अध्ययन करके मार्च 1883 में 600 पन्नों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

आयोग के सुझाव व सिफारिशें

i) शिक्षा नीति
ii) प्राथमिक शिक्षा
iii) माध्यमिक "
iv) उच्च "
v) विशिष्ट • पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में
vi) मुस्लिम b) स्त्री शिक्षा c) धार्मिक शिक्षा
• पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव
• धार्मिक शिक्षा

शिक्षा नीति →

(1) प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उसके संचालन का कार्यभार जिला परिषद, नगरपालिकाओं आदि स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न
(2) माध्यमिक व उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन होता है।
(3) सहायता अनुदान प्रणाली के नियम सरल हो
(4) सहायता अनुदान प्रणाली से सभी कर्मचारी व व्यक्तिगत अवगत हो।
(5) सहायता अनुदान निश्चित समय सीमा में व बिना किसी मेहनत के वितरित हो।
(6) विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन व छात्रवृत्तियों के साथ ही विद्यालयों के भवन निर्माण प्रयोगशाला व पुस्तकालय आदि हेतु भी अनुदान की समुचित व्यवस्था हो।

प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव →

i) प्राथमिक शिक्षा की नीति →
i) प्राथमिक शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी व जीवन के मूल्यों के अनुरूप हो।
ii) इसके प्रचार व प्रसार के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जाये
iii) शिक्षा के केवल पढ़ाई के रूप में न लेकर सामान्य शिक्षा के रूप में लिया जाये ताकि छात्रों के बालमन पर प्रभाव न पड़ सके
iv) शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक

उद्देश्य :-

(1) जन शिक्षा का प्रचार
(2) व्यवहारिक व सामान्य जीवन हेतु उपयोगी शिक्षा।
(3) स्वावलम्बन व आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाली शिक्षा

प्रशासन व वित्त :-

(1) स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं जैसे - जिलापरिषद् व नगरपालिका
(2) ये संस्थाये अपने-2 क्षेत्रो में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेगी। वेतन व भुगतान व अन्य व्ययों का भुगतान करेगी।
(3) स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों की

आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता की योजना बनाई जानी चाहिए।

(4) इन विद्यालयों के समस्त कार्यों का संचालन नियम व कानूनों के अनुसार ही किया जाए।

(5) प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु प्रान्तीय सरकारें कुल व्यय का 1/2 या 1/3 भाग अनुदान के रूप में देंगी।

पाठ्यक्रम :-

(1) पाठ्यक्रम के निर्धारण व निर्माण हेतु प्रान्तीय सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाए
(2) प्रान्तीय भाषा व्यवहार व समाज के अनुरूप हो
(3) विषयों में सामान्य ज्ञान, गणित, कृषि, नैतिक विज्ञान इत्यादि विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
(4) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक शिक्षा जैसे कताई, बुनाई, सिलाई, पशुपालन, इत्यादि की व्यवस्था की जाए।

माध्यम → प्रान्तीय भाषाएँ या मातृभाषा

प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का प्रशिक्षण →

i) प्रशिक्षण विद्यालयों के रूप में कार्यरत नार्मल स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए

ii) हर विद्यालय के निरीक्षक के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत एक नार्मल विद्यालय आवश्य हो
iii) Normal विद्यालयों में उपयुक्त संचालन हेतु धन का आवंटन प्रान्तीय कोषों के पहले ही कर दिया जाये
iv) प्रत्येक निरीक्षण को अपने आधीन स्थित नार्मल विद्यालयों को विशेष ध्यान देना चाहिए।

देशी विद्यालयों को प्रोत्साहन :-

i) देशी विद्यालयों के संचालन का कार्यभार स्थानीय निकायों एवं विद्यालय परिषदों के अन्तर्गत हो।
ii) इन्हें सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए
iii) इन विद्यालयों के भवन निर्माण तथा वेतनों के भुगतान हेतु सरकार द्वारा व्यवस्था की जाए।
iv) छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए
v) इनके पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए।
vi) शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए।
vii) पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने हेतु सुझाव दिये जाएँ।

माध्यमिक शिक्षा →

उद्देश्य →
(1) जीवनोपयोगी शिक्षा

(2) सामान्य जीवन हेतु सफल शिक्षा व्यवस्था
(3) उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु छात्रों की उपयुक्त तैयारी।

प्रशासन एवं वित्त →

(1) माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण कार्यभार का संचालन कुशल और धनी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाए
(2) इन वित्त में प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु दिशा निर्देशन के लिए हर जिले में एक सरकारी विद्यालय खोले गये।
(3) व्यक्तिगत प्रयासों से चलाये जा रहे माध्यमिक स्कूलों की सहायता अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए।

पाठ्यक्रम :- A Course Higher Education
B Course Vocational Education

माध्यम → परोक्ष रूप से English को ही माध्यम बनाये रखने का समर्थन।

शिक्षण - प्रशिक्षण →

(1) शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया गया।
(2) प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों कि स्थापना पर बल दिया

हण्टर आयोग की संस्तुतियों के गुण →

हण्टर कमीशन के सुझावों में निम्नलिखित गुण थे :-

(i) इन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा।
(ii) शिक्षा को सभी वर्गों, जातियों, धर्मों के लिए सुगम बनाया
(iii) प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की।
(iv) इस आयोग ने भारतीय शिक्षा पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
(v) इन्होंने उच्च शिक्षा के साथ-2 व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया
(vi) सहायता अनुदान व्यवस्था को अधिक उदार तथा जन सामान्य के लिए लाभदायक स्वरूप दिया गया।
(vii) छात्रों में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी इस आयोग द्वारा की गयी
(viii) बालिका शिक्षा एवं आदिवासियों व पिछड़ों की निशुल्क शिक्षा का प्रबन्धन करना इस आयोग का एक सराहनीय योगदान है।

हण्टर आयोग की संस्तुतियों के दोष :- इस आयोग में निम्नलिखित दोष बताये जा सकते है :-

i) कुछ घोषणा पत्र में बहुत कम योगदान करके लाभ करना

ii) इस आयोग ने भी अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य साहित्य के वर्चस्व को कायम रखा।

iii) इसने भारत की वास्तविक आबादी तथा पिछड़े क्षेत्रों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाये और धन की व्यवस्था नहीं की।

iv) उच्च शिक्षा में यूरोपिय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा।

v) मुस्लिम आबादी के लिए अलग से विद्यालय खोले जाने की सिफारिश से सम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया था।

vi) इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रयासो पर छोड़ दिया। जिससे वह असहाय हो कर रह गयी।